भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1071
05 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

एफपीआई की वृद्धि और निर्यात प्रोत्साहन

†1071. श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आगामी दो वर्षों में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) की अनुमानित वृद्धि कितनी है और उक्त वृद्धि को संचालित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं;
(ख) उक्त विस्तार को समर्थन देने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) जैसी सरकारी योजनाओं की क्या भूमिका है;
(ग) विशेषकर किसानों और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए तेजी से बढ़ते जैविक खाद्य बाजार को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रसंस्करण, भंडारण और शीत श्रृंखला अवसंरचना को मजबूत करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;
(ङ) वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से अपेक्षित रोजगार के सृजन और निर्यात में वृद्धि का क्या अनुमान है; और
(च) मूल्यवर्धित और जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनाई गई रणनीतियों और किसानों की आय तथा वैश्विक खाद्य बाजारों में भारत की हिस्सेदारी पर अपेक्षित प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) आंकड़ें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) क्षेत्र के जीवीए के पिछले आंकड़ें के आधार पर, पिछले 8 वर्षों की सीएजीआर को ध्यान में रखते हुए अगले दो वर्षों में एफपीआई क्षेत्र का जीवीए 2.43 लाख करोड़ ₹ तक पहुंचने का अनुमान है। इस वृद्धि को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि-अवसंरचना निधि, मूल्य वर्धित और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग, आपूर्ति-श्रृंखला और शीत-श्रृंखला अवसंरचना में सुधार, और निर्यात और खाद्य सुरक्षा मानकों पर बढ़ते ध्यान जैसे हस्तक्षेपों से प्रेरित होने की उम्मीद है।

(ख) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता के सृजन और विस्तार का समर्थन करता है, जिसमें फार्म गेट से खुदरा आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन शामिल है, ताकि फसलोत्तर हानि को कम किया जा सके और प्रसंस्करण का स्तर बढ़ाया जा सके। एमओएफपीआई द्वारा कार्यान्वित्त की जा रही योजनाएं इस प्रकार हैं:
एमओएफपीआई वर्ष 2016-17 से फसलोत्तर अवसंरचना और प्रसंस्करण क्षमता सृजित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक अम्ब्रेला स्कीम- पीएमकेएसवाई कार्यान्वित्त कर रहा है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं हैं (i) एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धन अवसंरचना, (ii) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन, (iii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/ विस्तार (iv) ऑपरेशन ग्रीन्स (v) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (एफटीएल) (vi) मानव संसाधन और संस्थान - अनुसंधान और विकास (vii) मेगा फूड पार्क (इस घटक को दिनांक 01.04.2021 से केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रावधान के साथ प्रभाव में बंद कर दिया गया है,) और (viii) बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेज़ सृजन (इस घटक को 1 अप्रैल 2021 से बंद कर दिया

गया है)। एमओएफपीआई योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र आवेदकों को अनुदान सहायता के रूप में क्रेडिट-लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है और दिसंबर 2025 तक, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत1607 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 1196 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

एमओएफपीआई, भारत की प्राकृतिक संसाधन संपदा के अनुरूप, वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन सृजन में सहायता करने और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करने के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि हेतु ₹10,900 करोड़ के अनुमोदित व्यय के साथ पीएलआईएसएफपीआई को कार्यान्वित्त कर रहा है। दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक, इस योजना के अंतर्गत 169 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है, जिसमें लाभार्थियों द्वारा ₹9,207 करोड़ के निवेश और ₹2,162.55 करोड़ के प्रोत्साहन वितरित किए जाने की सूचना दी गई है।

इसके अलावा, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना या उन्नयन के लिए पीएमएफएमई योजना के माध्यम से व्यापक सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, 4,04,062 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और 1,72,707 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें 14.19 हजार करोड़ रुपये की सावधि ऋण राशि शामिल है। 3,74,819 महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के लिए 1,277.45 करोड़ ₹ के प्रारम्भिक पूंजी सहायता को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 693 मास्टर ट्रेनर्स, 1,312 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों और 1,36,723 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के सृजन से, कृषि उत्पादों की मांग, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल है, बढ़ जाती है, जिससे एमएसएमई सहित किसानों को बेहतर कीमतें मिलती हैं और फार्म-गेट पर लाभप्रदता बढ़ती है। उपरोक्त योजना ने पूरे देश में बेहतर मूल्य प्राप्ति, मूल्य वर्धन और अपव्यय में कमी आदि के माध्यम से आय बढ़ाकर सूक्ष्म स्तर (किसान और शीत श्रृंखला के मालिकों) पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपरोक्त योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता जैविक खाद्य उत्पादों के लिए भी उपलब्ध है।

(ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 8 वर्षों की सीएजीआर को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2026-27 तक अनुमानित रोजगार के 26,63,809 तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्यिक खुफिया एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 8 वर्षों की सीएजीआर को ध्यान में रखते हुए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के निर्यात में अपेक्षित वृद्धि वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 12,006.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

(च): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अपने पंजीकृत निर्यातकों को एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अपने पंजीकृत निर्यातकों को एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग चक्र (वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के लिए तीन व्यापक क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार हैं:

i. अवसंरचना विकास योजना
ii. गुणवत्ता विकास योजना
iii. बाजार संवर्धन योजना

इसके अलावा, एपीडा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) को कार्यान्वित्त कर रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमाणन निकायों की मान्यता, जैविक उत्पादन के मानक, जैविक खेती और विपणन का प्रचार आदि शामिल हैं। एनपीओपी के अंतर्गत, संचालकों को उनके संचालन के दायरे जैसे उत्पादन, प्रसंस्करण और व्यापार के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। भारतीय निर्यातकों की अधिक दृश्यता सुनिश्चित करने, खाद्य उत्पादकों को लाभ पहुँचाने और वैश्विक बाजार में नए व्यापारिक भागीदारों को जोड़ने के लिए, एपीडा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार मेलों में अपने उत्पादों का विपणन करने के अवसर प्रदान करता है। एपीडा व्यापार मेलों के दौरान एक वाइब्रेंट भारतीय पवेलियन विकसित करता है, जिसमें प्रतिभागी निर्यातकों को एपीडा द्वारा आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों और संसाधनों को सुव्यवस्थित करने हेतु, एपीडा विशिष्ट उत्पादों के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन मंच स्थापित करता है।

*****